# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | मिठठालाल बनाम प्रियका<br>688/2023<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20/02/2026 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो। | |
| 23/02/2026 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.1644 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर 272 रकबा 0. 9863 ग्राम सायपुरा पटवार हल्का सायपुरा तहसील जमवारामढ, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। वादीगण के कब्जे काश्त व हक अधिकार की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 0.0508 हैक्टेयर,, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.1644 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर 272 रकबा 0.9863 से प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नही है तथा वादीण मेहनत मजदूरी व कृषि करते है तथा मेहनत मजजदूरी व कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवारों का जीवन याप्न करते है। प्रतिवादीगण का वादीगण की भूमि से किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही है लेकिन प्रतिवादीगण बाहुबल में अधिक व प्रभावशाली है जिस कारण जबरन वादीगण की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है तथा कब्जा हटाने के लिये कहने पर गाली गलोच व मारपीट करने का प्रयास करते है तथा वादीगण को जान से मारने पीटने की धमकीयां देते है। वादीगण कृषि कार्य करते है तथा प्रतिवादीगण आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है जो आये दिन वादीगण की कयशुदा खातेदारी भूमि स्थित है जिसको वादीगण ने जरिये विकय पत्र दिनांक 25.01.2023 को कय की थी तथा कय करने के उपरान्त से ही काबिज होकर काश्त करने की नियत से आये दिन वादीगण व वादीगण के परिवारजन से लडाई झगडा करते है तथा वादीगण की भूमियों पर कब्जा करने के उद्देश्य से निर्माण कार्य करने पर आमादा रहते है तथा वादीगण की भूमियों के कुछ हिस्से पर कब्जा करके अपना अधिपत्ये कर लिये है। तथा दिनांक 25. 04.2023 को वादीण ने कब्जा हटाने के लिये मना करते हुये कहा कि अब तुम्हारा कोई लेना देना उक्त भूमियों पर नही है उक्त भूमि पर हमने कब्जा कर अपना स्वयं का आधिपत्य जमा लिया है तथा कहा कि तुमने या तुम्हारे | |

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | मिठठालाल बनाम प्रियका<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 688/2023 | | |

परिवारजन ने हमें रोकने की कोशिश की तो तुम्हे व तुम्हारे परिवार को जान से मार देगें तथा वादीगण लडाई झगडा करने में और कानून अपने हाथ में लेने में विश्वास नही रखते है इसलिए मौके पर से चला गये इसके बाद पुनः दिनांक 01.05.2023 को वादीगण अपनी भूमियों के मौके पर गये और प्रतिवादीगण से सालीनता से समझाईस कर उक्त भूमि पर काश्त करने देने के समझाये परन्तु प्रतिवादीगण ने कहा कि अब इस भूमि पर हम ही काश्त करेगे तथा तुमको खेतो पर नही आने देगे और यह भी कहा कि तुमने इन भूमियों पर काश्त करने का प्रयास किया तो हम एकत्रित होकर तुम्हे ऐसा सबक सिखायेगे कि तुम इन खेतो पर आना ही भूल जाओगे और तुम्हे जो करना है कर लो, तक मान्य न्यायालय में आकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ। अतः ग्राम सायपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 0.0506 हैक्टेयर,, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.1644 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर पर कानून के विपरीत व विधि विधान के विपरीत कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को उक्त भूमियों का कब्जा दिलवाया जाने के आदेश प्रदान करे तथा वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर प्रतिवादीगणों को पाबन्द फरमाया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी संख्या संख्या 1 लगायत 21 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाद तामील अनुपस्थित होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं प्रतिवादी संख्या 22(पैरोकार सरकार) ने पत्रांक रीडर/2023/317 दिनांक 31/07/2023 द्वारा जवाब/मौका एवं राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट पेश की | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की एकपक्षीय बहस समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 31/07/2023 पारित करते हुये वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी. एक्ट वाद बाबत बेदखली को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया गया कि ग्राम सायपुरा, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 0.0506 हैक्टेयर., खसरा नम्बर 317 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.1644 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर पर यदि कोई स्थगन आदि न हो तो कानून के विपरीत व विधि विधान के विपरीत कब्जे से प्रतिवादीगणों को बेदखल किया जाकर प्रतिवादीगणों के द्वारा अवैध अतिक्रमण

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | मिठठालाल बनाम प्रियका<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 688/2023 | |

को हटाया जाकर वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा दिलवाया जावें। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रश्नाधीन प्रकरण प्रस्तुत होने पर प्रथम तारीख पेशी दिनांक 05/05/2023 को प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये गये किन्तु प्रतिवादीगण कोई कोई नोटिस जारी करने का अंकन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर उपलब्ध नही है इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्टाम्प अंकित कर निरन्तर 8 तारीख पेशीयां तब्दील की गयी तत्पश्चात दिनांक 31/07/2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 21 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होने का अंकन कर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी, जबकी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रतिवादीगण की तामील हो जाने अथवा उन्हें सूचना हो जाने के सम्बन्ध में कोई सन्दर्भित कारण/दस्तावेज उपलब्ध नही है, जिससे की प्रतिवादीगण को प्रश्नाधीन वाद एवं नोटिस की कोई सूचना प्राप्त होना जाहिर होता हो | ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस की ताईद होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सूचना/सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है | कानूनन न्यायालय के लिये आवश्यक होता है कि वे प्रत्येक पक्षकार की तामील करवाया जाना एवं उन्हें जवाब/सुनवाई का अवसर प्रदान करे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर प्रतिवादीगण/अपीलार्थी को गलत रूप से सूचना होना धारित कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में गम्भीर क़ानूनी एवं प्रक्रियात्मक त्रुटी किया जाना जाहिर होता है | ऐसेमें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों की सुनवाई कर विधिसम्मत निस्तारण किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31/07/2023 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को जवाब एवं सुनवाई

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | मिठठालाल बनाम प्रियका<br>688/2023<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |